हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड धर्मशाला के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 4/2011 से 3/2012

भाग–एक

1 **प्रारम्भिकः–**

(क) हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड अधिनियम 1986 के धारा 20 के अनुसार तकनीकी शिक्षा बोर्ड के लेखाओं का अंकेक्षण हिमाचल प्रदेश स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया जाता है। बोर्ड अधिनियम की धारा 20 के अनुसार हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड के अंकेक्षित लेखाओं एवं वार्षिक तुलन पत्र बोर्ड द्वारा हिमाचल प्रदेश सरकार को प्रतिवर्ष भेजे जाने आवश्यक है।

वर्तमान अंकेक्षण अवधि के दौरान निम्नलिखित अधिकारियों ने बोर्ड में कार्य कियाः–

क्र0सं0	पद	नाम	अवधि
1	अध्यक्ष	श्री दलजीत सिंह	3.01.11 से 30.6.11
2	अध्यक्ष	श्री अजय मित्तल	1.7.11 से 31.8.11
3	अध्यक्ष	श्री एसके0दास	1.9.11 से 8.7.12
4	सचिव	श्री एस0के0 वर्मा	17.3.10 से लगातार
5	आहरण एवं वितरण अधिकारी	श्री एम0आर0 शर्मा	19.3.10 से लगातार

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सारः–

क्रमांक	गम्भीर अनियमितताओं का सम्बन्धित सार	पैरा संख्या	राशि ₹ लाख में
1	दिनांक 31.3.2012 को समायोजन हेतु अग्रधन के सन्दर्भ में	7	9.44
2	बिना सरकार की अनुमति के निदेशक तकनीकी शिक्षा हिमाचल प्रदेश को राशि प्रदान करने बारे	9	500.00
3	विभागीय शुल्क के रूप में अधिक भुगतान करने बारे।	11	1.72
4	प्रोस्पैक्टस की बिक्री की वसूली बारे।	14 (ग)	1.70
5	मै0 न्यू हिल पब्लिक गुडस कैरियर एसोसिएशन ट्रक यूनियन धर्मशाला को विभिन्न परीक्षा केन्द्रों में प्रश्न पत्र पहंचाने के लिए किए गए भुगतान के बारे में।	16	0.25

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदनः–

बोर्ड द्वारा पुराने पैरों के निपटारे हेतु कोई विशेष कार्रवाई नहीं की गई है। वर्ष 1988 से वर्ष 2010–11 तक लगभग 50 पैरे निपटारे हेतु शेष पड़े है जिनका विवरण इस प्रतिवेदन के परिशिष्ट "ए" पर दिया गया है। अतः बोर्ड प्रशासन को सुझाव दिया जाता है कि पुराने लम्बित पैरों के निपटारे हेतु अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाई जाए ताकि पुराने पैरों का निपटारा यथा समय किया जा सके।

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षणः–

हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड धर्मशाला के अवधि 4/11 से 3/12 के लेखाओं का वर्तमान अंकेक्षण/जॉच परीक्षण जिनके परिणाम अनुवर्ती पैरों में दिये गये है, श्री अशोक कुमार सूद, (अ0अ0), श्री विरेन्द्र कुमार, (क0ले0प0) तथा श्री ध्रुव राज (क0ले0प0) द्वारा दिनांक 17.10.12 से 22.11.12 के दौरान बोर्ड कार्यालय में सम्पन्न किया गया। माह 5/11 (आय PAT) तथा माह 12/11 आय (General) माह 1/12 (व्यय PAT एवं General) के लेखाओं का चयन विस्तृत जांच हेतु किया गया।

यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि अंकेक्षण प्रतिवेदन को बोर्ड के नियन्त्रक अधिकारी/सचिव द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं के आधार पर तैयार किया गया है। स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग किसी भी प्रकार की गलत सूचना या सूचना जो अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं की गई की जिम्मेवारी लेने से इन्कार करता है।

3 अंकेक्षण शुल्कः–

हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड के अवधि 4/11 सें 3/12 के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क `33600/– आंका गया जिसे राजकीय कोष में जमा करवाने हेतु सचिव हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड से अंकेक्षण अधियाचना संख्या 142 दिनांक 22.11.2012 द्वारा अनुरोध किया गया।

4 वित्तीय स्थितिः–

सचिव, हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड द्वारा उपलब्ध करवाए गए अभिलेख के अनुसार अंकेक्षण अवधि के दौरान बोर्ड के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से रहीः–

(क) General Fund Cash Book 2011–2012 (परिशिष्ट B)

अथशेष राशि	43776733.63
पावतियां	86154221.58
ब्याज (बचत)	556462.00
ब्याज (साविध)	10007206.00
कुल योग	140494623.21
व्यय	74454109.00
अन्तशेष राशि	66040541.21

अन्तशेष का विवरणः–

(i) दिनांक 31.3.2012 को सामान्य निधि खाते मे से बचत खातो मे ंजमा अन्तशेष का विवरण निम्न प्रकार से दर्शाया गयाः–

क्र0सं0	खाता सं0	बैंक का नाम	जमा राशि
1	20129032449	का0 के0स0 बैंक दाड़ी	34736.00
2	10551212323	स्टेट बैंक आर्फ इण्डिया	28936.58
3	87950100608745	हि0ग्रामीण बैंक दाड़ी	159108.00
4	1151010009284	यूको बैंक	669945.00
5	20129033816	कां0 के0सी0 बैंक दाड़ी	1065654.00
6	10551097385	एस0बी0 आई धर्मशाला	2282711.73
			4241091.31

(ii) दिनांक 31.3.2012 को सामान्य निधि खाते में से सावधि जमा योजना के अन्तर्गत निवेशित राशि का विवरण निम्न प्रकार से दर्शाया गया है

1	परिशिष्ट "G" के अनुसार	26738465.00
2	परिशिष्ट "G" के अनुसार	35753624.00
	योग	**62492089.00**

कुल जमा राशि (i+ii) ₹4241091.31+₹62492089.00= **66733180.31**

दिनांक 31.3.2012 को रोकड़ वही एवं बैंक के अन्तिम शेष में `692666.10 (66733180.31–66040514.21) का अन्तर पाया गया जिसका मिलान बैंक समाधान विवरणिका (परिशिष्ट B-1 पर किया गया है।

(ख) PAT Cash Book 2011–2012 (परिशिष्ट –"C")

विवरण	राशि
अथशेष राशि	34666874.58
पावतियां	10831825.00
ब्याज	
(1) (बचत खाता)	194733.00
(2) (साविध खाता)	8202616.00
कुल योग	53896048.58
(–)व्यय	6477566.00
(–) Genral Fund खाते में दिनांक 3/2012 में हस्तांतरित राशि	47418482.58
अन्तशेष राशि	Nil

नोटः– (i) दिनांक 3//2012 में PAT खाते से सम्बन्धित रोकड़ वही को बन्द करके इसमें शेष राशि `47418482.58 को सामान्य निधि खाते में हस्तांतरित कर दिया गया है।

(ii) PAT Cash Book में दिनांक 31.3.12 को ₹6914/–का अन्तर पाया गया जिसका विवरण परिशिष्ट C-I पर दिया गया है। अतः उक्त अन्तर का मिलान करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ग) TWF Cash Book 2011-2012 (परिशिष्ट "D")

विवरण	राशि
अथशेष राशि	223855.67
पावतियां	33780.00
ब्याज	8944.00
कुल योग	266579.67
व्यय	–
अन्तशेष राशि	266579.67

TWF Cash Book से सम्बन्धित बैंक खातों में दिनांक 31.3.2012 को अन्तशेष निम्न प्रकार से रहाः–

बैंक का नाम	खाता सं0	राशि
स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया	10551210336	253220.67

दिनांक 31.3.2012 को रोकड़ वही की शेष राशि तथा बैंक खाते में जमा शेष राशि में `13359/–(266579.67–'253220.67) का अन्तर पाया गया जिसका मिलान बैंक समाधान विवरणिका द्वारा परिशिष्ट "D-I" पर किया गया है।

(घ) CPF Cash Book 2011-2012 (परिशिष्ट E)

विवरण	राशि
अथशेष राशि	7086565.06
पावतियां	1899272.00
ब्याज (सावधि+बचत)	1854304.00
कुल योग	10840141.06
व्यय	1246188.00
अन्तशेष राशि	9593953.06

CPF Cash Book से सम्बन्धित बैंक खातों में दिनांक 31.3.2012 को अन्तशेष निम्न प्रकार से रहाः–

बैंक का नाम	खाता सं0	राशि
भारतीय स्टेट बैंक	10551097396	422819.06
सावधि जमा के रूप में निवेशित राशि (परिशिष्ट G)		9158048.00
	योग	**9580867.06**

दिनांक 31.3.2012 को रोकड़ वही एवं बैंक खातों के अन्तिम शेष में ₹13086/–(9593953.06–9580867.06) का अन्तर पाया गया जिसका मिलान बैंक समाधान विवरणिका द्वारा परिशिष्ट "E-I" पर दिया गया है।

(ङ) गुप्त निधि 2011–12 (परिशिष्ट "F")

परिशिष्ट "F" के रूप में संलग्न उपयोगिता प्रमाण पत्र अनुसार गुप्त निधि खाते को हस्तांतरित की गई राशि व उसमें से किये गये व्यय उपरान्त विवरण निम्न प्रकार से रहाः–

विवरण	राशि
अथशेष राशि	415162.44
सामान्य खाता से हस्तांतरित राशि	2500000.00
ब्याज	66065.30
अन्य प्राप्तियां	18551.00
कुल योग	2999778.74
व्यय	2704615.00
अन्तशेष राशि	295163.74

5 रोकड़ वहियों के मासिक अन्तशेष का बैंक से मिलान न करने बारेः–

अभिलेख की जांच में पाया गया कि रोकड़ वहियों के मासिक अन्तशेष का माह के अन्त में बैंक से मिलान नहीं किया जा रहा है अपितु वर्ष में केवल एक बार ही रोकड़ वहियों

के अन्तशेष को बैंक से मिलान किया जा रहा है। नियमानुसार माह के अन्त में बैंक व रोकड़ वहियों के अन्तशेष का मिलान अति आवश्यक है ताकि किसी भी प्रकार की वित्तीय त्रुटि की सम्भावना न रहे। इस सम्बन्ध में अंकेक्षण के दौरान सचिव तकनीकी शिक्षा बोर्ड धर्मशाला से चर्चा की गई। सचिव महोदय ने आश्वासन दिया है कि भविष्य में रोकड़ वहियों के अन्तशेष का मिलान बैंक के साथ मासिक शुरू कर दिया जाएगा। अतः वांन्छित कार्रवाई अविलम्ब अमल में लाते हुए अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए। दिनांक 31.3.2012 को रोकड़ वहियों के अन्तशेष व बैंकों की जमा राशियों के मिलान में पाया गया कि रोकड़ वहियों तथा बैंक पास बुकों के अनुसार अध्याधिक राशियां समाधान/मिलान हेतु शेष थी। अतः इन राशियों का समाधान/मिलान करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

6 निवेशः—

संस्था द्वारा उपलब्ध करवाये गये अभिलेख के अनुसार दिनांक 31.3.2012 को General Fund PAT तथा CPF खाते में से निवेशित राशियो ंका विस्तारपूर्वक विवरण परिशिष्ट "G" पर दिया गया है।

7 दिनांक 31.3.2012 को समायोजन हेतु अग्रधन `944933/—का शेष पाया जानाः—

जॉच के दौरान पाया गया कि दिनांक 31.3.2012 को `944933/—विभिन्न विभागों, कर्मचारियों/अधिकारियों व फर्मो के नाम अग्रधन के रूप में समायोजन हेतु शेष थी। अग्रधन के रूप में दिनांक 31.3.2012 को समायेाजन हेतु शेष राशियों का विस्तारपूर्वक विवरण परिशिष्ट "H" पर दिया गया है। जॉच के दौरान यह भी पाया गया कि अग्रधन के रूप में समायोजन हेतु शेष कुछ राशियां वर्ष 1987 से 1992 व 1996 से सम्बन्धित है जिनके समायोजन हेतु सम्बन्धित विभागों से लगभग 20—25 वर्ष बीत जाने के पश्चात भी कोई प्रयास नहीं किये जा रहे है। अतः अग्रधन के रूप में समायोजन हेतु शेष पड़ी राशियों का समायोजन प्राथमिकता के आधार पर करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये अन्यथा अग्रधन राशि की एक मुश्त वसूली सम्बन्धित संस्था/कर्मचारी से की जानी सुनिश्चित करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

8 NCVT (Supplementry) की परीक्षा का संचालन हेतु अग्रिम राशियो ंका भुगतान वित्त समिति द्वारा लिये गये निर्णयों के अनुसार न करने बारेः–

विभिन्न आईटीआई के प्रधानाचार्यों को माह जनवरी 2012 को सम्पन्न हुई NCVT (Supplementry) परीक्षा के संचालन हेतु वाऊचर संख्या 587 दिनांक 10.1.2012 के अन्तर्गत `39000/–का भुगतान किया गया। इस सम्बन्ध में वित समिति की दिनांक 17.7.2006 को सम्पन्न हुई बैठक की मद संख्या 13 में यह निर्णय लिया गया था कि "बोर्ड द्वारा संचालित करवाई जाने वाली विभिन्न परीक्षाओं हेतु सृजित किए परीक्षा केन्द्रो को अनुमानित व्यय के आधार पर 80% के हिसाब से अग्रिम राशियां दी जाए परन्तु बोर्ड द्वारा ऊपर वर्णित वित समिति के निर्णय अनुपालना में 80% अग्रधन न देकर अपनी मर्जी से इस कार्य हेतु अग्रधन प्रदान किया गया है। अतः वित समिति के निर्णयों की अनुपालना न करने का कारण स्पष्ट किए जाएं तथा दिए गए अग्रिम को उचित ठहराया जाये एवं भविष्य में बोर्ड की वित समिति के प्रत्येंक निर्णय की अनुपालना सुनिश्चित की जाये।

9 बिना सरकार की अनुमति के निदेशक तकनीकी शिक्षा हिमाचल प्रदेश को `5 करोड़ प्रदान करने बारेः–

हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड की वित्तीय समिति की दिनांक 5.8.2011 को हुई बैठक में लिये गये निर्णय की अनुपालना में माह फरवरी 2012 में `5 करोड़ निदेशक, तकनीकी शिक्षा हिमाचल प्रदेश को प्रदेश में स्थित विभिन्न राजकीय तकनीकी विद्यालयों के उत्थान हेतु प्रदान की गई। इस सन्दर्भ में सचिव तकनीकी शिक्षा बोर्ड द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि बोर्ड द्वारा यह निर्णय हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड अधिनियम 1986 की धारा 15 के अन्तर्गत लिया गया है तथा तदानुसार यह राशि प्रदान की गई है जबकि नियम 15 के अनुसार "The Board may for carrying out purpose of this Act, make regulations consiotent with the provioions of this Act and the rules provided there under and submit the same for approval of the state Government. The State Goverement may approve, modify on vary the regulations. The regulations as approved by the state government shall be published in the

official gazette and shall take effect from the date of publication and where a date has been specified from that date."

अतः उपरोक्त वण्रित नियम के अनुसार बोर्ड द्वारा अपने निर्णय को प्रदेश सरकार से अनुमोदित करवाना अनिवार्य था जोकि नहीं करवाया गया है। अतः उक्त निर्णय को प्रदेश सरकार से अनुमोदित करवा कर की गई कार्रवाई एवं अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

10 आई0टी0आई0 परिसर धर्मशाला में कम्पयूटर प्रयोगशाला व तीन आवासों के निर्माण बारेः—

तकनीकी शिक्षा बोर्ड हिमाचल प्रदेश के बोर्ड आफ डायरेक्टर की दिनांक 5.8.11 को सम्पन्न हुई बैठक में आईटीआई धर्मशाला के परिसर में आईटीआई धर्मशाला के लिए एक कम्पयूटर प्रयोगशाला व आई0टी0आई0 द्वारा निर्मित भवन पर बोर्ड कर्मचरियों के लिए तीन आवासों के निर्माण का निर्णय लिया गया जिस के लिए ₹60 लाख भी स्वीकृत कर दी गई। जांच में पाया गया कि तीन आवासों का निर्णय आई0टी0आई की भूमि पर पूर्व निर्मित भवन पर किया जा रहा है व प्रयोग शाला का निर्माण भी आईटीआई धर्मशाला परिसर में किया जा रहा है। यह कार्य एच0पी0एस0आई0डी0सी0 धर्मशाला द्वारा करवाया जा रहा है। इस कार्य के लिए वाउचर संख्या 604 द्वारा दिनांक 9.1.12 के अन्तर्गत ₹60 लाख का भुगतान किया गया। उपरोक्त निर्माण कार्यो में न तो आईटीआई से भू—मालिकाना हक के सम्बन्ध में कोई समझौता किया गया है और न ही निर्माण से पूर्व सरकार से इस की स्वीकृति प्राप्त की गई है जबकि हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड रेगूलेशन 1993 के खण्ड—5 (2) (C) के अनुसार प्रदेश सरकार की पूर्व सहमति के बिना किसी प्रकार को स्थाई सम्पति की खरीद नहीं की जा सकती है। अतः यह स्पष्ट किया जाये कि सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना व मालिकाना हक का समझौता किए बिना किस आधार पर निर्माण कार्य करवाया जा रहा है। अतः इस सम्बन्ध मे ंवान्छित कार्रवाई अमल में लाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

11 विभागीय शुल्क के रूप में लगभग `172000/–का अधिक भुगतान करने बारेः–

तकनीकी शिक्षा बोर्ड के निम्नलिखित कार्य के निष्पादन हेतु वाऊचर संख्या 604, माह 1/2012 के अन्तर्गत ₹60 लाख का भुगतान अग्रधन के रूप में अधिशाषी अभियन्ता एच0पी0एस0 आई0डी0सी0लि0 धर्मशाला को उनके अनुमान पत्र की कुल राशि की प्रथम किस्त के रूप में किया गया।

क्र0 सं0	कार्य का नाम	कार्य की लागत	विभागीय शुल्क 12.5%	सेवा शुल्क 10.30%	कुल लागत
1	3 नं0 टाईप 3 क्वार्टर का तकनीकी शिक्षा बोर्ड आवास कलोनी दाड़ी में निर्माण	2929320	366165	37715	3333200
2	आईटी0आई0 दाड़ी में कम्पयूटर रूम का निर्माण	2461463	307683	31691	2800837
3	बाउंडरी बाल का निर्माण	781651	97706	10064	889421
	योग	**6172434**	**771554**	**79470**	**7023458**

सम्बन्धित रिकार्ड की जॉच करने पर पाया कि निर्माण कार्य करने वाली संस्था एच0पी0एस0आई0डी0सी0लि0 द्वारा बोर्ड के अन्य कार्य करने हेतु जो अनुमान पत्र दिये गये उसमें उनके द्वारा विभागीय शुल्क 10% लगाया गया है जैसेकि पत्र संख्या ई0ई0/एचपीएसआईडीसी धर्मशाला/100–2449 दिनांक 21.1.2012 के अन्तर्गत बोर्ड में टाईलेट ब्लाक बनाने के लिए जो कुल राशि ₹315900/–का अनुमान पत्र दिया गया उसमें विभागीय शुल्क 10% की दर से लगाए गए है परन्तु उक्त निर्माण कार्य पर 12.5% की दर से विभागीय शुल्क चार्जिज किया गया है। इस प्रकार यदि उपर वर्णित तीनों कोर्या पर भी विभागीय शुल्क 10% की दर पर लगाए जाते तो बोर्ड को लगभग `172049/–की बचत होती जिसका विवरण निम्नलिखित है।

तीनों कार्यो की कुल लागत	विभागीय शुल्क (10%)	सेवा शुल्क (₹10.30%)	कुल राशि
6172434	617243	61724	6851401
दिये गये अनुमन पत्र की कुल राशि			7023450
		अधिक भुगतान	**172049**

अतः एच.पी0एस0आई0डी0सी0 द्वारा विभागीय शुल्क 10**%** की जगह 12.5**%** लिए जाने वाला मामला उनसे उठाकर विभागीय शुल्क का कम करवाया जाये ताकि बोर्ड को होने जा रही हानि से बचा जा सके। उपरोक्त गणना केवल अनुमान पत्र पर आधारित है जबकि इन कार्यो पर आए वास्तविक व्यय की जब प्रतिपूर्ति की जाएगी तो इस बात की पूर्ण सम्भावना है कि उपरोक्त वर्णित अधिक किया जा रहा भुगतान और बढ़ जाएगा। अतः इस सन्दर्भ में अविलम्ब वांन्छित कार्रवाई अमल में लाते हुए की गई कार्रवाई से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

12 निर्धारित औपचारिकाओं को पूर्ण किये बिना क्रय करने के बारे में:–

जॉच में पाया गया कि बोर्ड द्वारा अधिकांश क्रय करने पूर्व न तो निविदाये एकत्रित की जाती है और न ही न्यूनतम दर पर की गई क्रय से सम्बन्धित प्रमाण पत्र दिया जाता है जबकि हिमाचल प्रदेश वित नियम–2009 के अनुसार है कि बिना निविदाएं लिए `3000/–तक का ही क्रय किया जा सकता है। उदाहरणतः वाउचर संख्या 588 दिनांक 6.1.2012 के अन्तर्गत `6205/–का भुगतान मै0 चौपड़ा इलैक्ट्रीक वर्क धर्मशाला को उनके बिल संख्या 4773 दिनांक 14.12.2011 के एवज में 7 रोड़ रूम हीटर की आपूर्ति करने पर किया गया। इस क्रय हेतु निविदाएं आमन्त्रित नहीं की गई तथा यह क्रय इस आधार पर किया गया कि मै0 चौपड़ा इलैक्ट्रिक वर्क अधिकृत बिक्रेता है परन्तु बिल के साथ उनके अधिकृत विक्रेता से सम्बन्धित प्रमाण पत्र तथा सम्बन्धित कम्पनी की दर सूची संलग्न नहीं है। इस प्रकार नियमों के अनुसार खरीद न करके बाजारी प्रतिस्पर्धा का लाभ नहीं उठाया जा सका। अतः नियमानुसार निविदाएं एकत्रित न करने के कारण स्पष्ट किए जाएं व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति लेकर उक्त अनियमितता को नियमित करवाकर अनुपालना से इस कार्यालय को अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में निर्धारित औपचारिकताओं को पूर्ण करके ही क्रय किया जाए।

उक्त के अतिरिक्त ऊपर वर्णित विवरणानुसार खरीदे गये सामान की स्टॉक प्रविष्टि स्टॉक रजिस्टर संख्या 8 के पृष्ठ 37 पर की गई जिसकी जॉच मे ंपाया गया कि इस पृष्ठ पर माह 3/2011 से लेकर 3/2012 तक बिजली से सम्बन्धित की खरीद की स्टॉक प्रविष्टियॉ इकटठी की गई है जबकि नियमानुसार स्टॉक प्रविष्टि प्रत्येक मद/वस्तु के अनुसार की जानी आपेक्षित थी ताकि खपत उपरान्त स्टॉक में पड़े सामान का प्रत्येक मदानुसार शेष का पता चल सके। अतः मद अनुसार स्टॉक प्रविष्टि न करने का कारण स्पष्ट किए जाएं तथा स्टॉक में पड़े सामान की भौतिक सत्यापना उपरान्त मद अनुसार स्टॉक प्रविष्टि करके अनुपालना से इस कार्यालय को अवगत करवाया जाए। अतः कौडल औपचारिकताओं को पूर्ण कर क्रय न करने का कारण स्पष्ट किया जाये तथा भविष्य में नियमों की पूर्ण अनुपालना कर ही क्रय का किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

13 निर्धारित शुल्क लिए बिना निरीक्षण/पुनः मूल्यांकन करने बारेः—

हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड द्वारा जून 2010 से छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं की रिवेल्यूएशन के लिए प्रति विषय `300/— व रिचैक के लिए प्रति विषय `150/—शुल्क निर्धारित किया गया है। कोई भी छात्र रिजल्ट निकलने के 14 दिनों के अन्दर निर्धारित शुल्क जमा करने के बाद अपनी उतर पुस्तिकाओं की रेवेल्यूऐशन व रिचैक करवा सकता है। अभिलेख की जांच में पाया गया कि बोर्ड द्वारा निर्धारित शुल्क से कम शुल्क लेकर निम्न विवरणानुसार छात्रों के आवदेन स्वीकार किए गए है।

रिवैल्यूएशन

दिनांक	**बी0आर0नं0**	**नाम**	**स्वीकृत राशि**	**कम ली गई राशि**
19.10.11	50470	शशि कुमार	260	40
19.10.11	50472	तनुज कुमार	250	50
19.10.11	50473	राजेन्द्र कुमार	25	50
19.10.11	50474	आर कुमार	250	50
19.10.11	50476	अरून कुमार	260	40
19.10.11	50480	अभिशेख शर्मा	250	50
20.10.11	50499	हितेन्द्र सिंह	250	50
10.10.11	50321	सन्दीप कुमार	110	190

	50633	प्रिंसीपल आईटीआई बलगर	250	50
	50321	सन्दीप कुमार	110	190
रिचैकिंग				
27.10.11	50605		100	50
27.10.04	50611	दिनेश कुमार	100	50
27.10.04	50612	एल राम	100	50

इस सम्बन्ध में अंकेक्षण अधियाचना संख्या 114 दिनांक 1.11.12 के प्रत्युत्तर में बोर्ड द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया कि सचिव तकनीकी शिक्षा बोर्ड धर्मशाला इस प्रकार का निर्णय लेने में सक्षम है परन्तु अंकेक्षण द्वारा बोर्ड एक्ट 1986, रेगूलेशन 1992 व रिवेल्यूएशन एक्ट की जांच में पाया कि अधिनियमों ऐसा कोई भी प्रावधान वर्णित नहीं है जिसमें सचिव कम शुल्क वाले आवेदनों को स्वीकार कर सकता है। इस प्रकार यह एक वित्तीय अनियमितता का मामला बनता है। अतः नियमों की अवहेलना करके कम ली गई राशि की उचित स्त्रोत से वसूल करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये और भविष्य में सुनिश्चित किया जाये कि निर्धारित शुल्क की वसूली पर ही रिवैल्यूएशन व रि चैक के आवेदन स्वीकार किए जाए।

14 विवरण परिचायकाओं (Prospectus) की छपवाई, बिक्री व वापसी के सम्बन्ध में पाई गई अनियमितताएंः—

तकनीकी शिक्षा बोर्ड द्वारा समय—2 पर छपवाए गए "Prospectus" से सम्बन्धित अभिलेख की जांच करने पर निम्नलिखित अनियमितााएं पाई गईः—

(क) अध्याधिक मात्रा में "Prospectus" की छपवाई करवानाः—

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि गत वर्षों में तकनीकी बोर्ड धर्मशाला द्वारा छपवाए व बिक्री किए गए प्रोस्पैक्टस का वर्षवार विवरण निम्न प्रकार से हैः—

वर्ष 2010

पैट (PAT)	छपवाई	बिक्री	शेष
	30000	20087	9913
लिट (LEET)	5000	665	4335
योग	**35000**	**20752**	**14248**

वर्ष 2011

पैट (PAT)	30000	19566	10434
लिट (LEET)	3000	692	2308
योग	**33000**	**20258**	**12742**

वर्ष 2012

पैट (PAT)	30000	19089	10911
लिट (LEET)	6000	1959	4041
योग	**36000**	**21048**	**14952**

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि प्रत्येक वर्ष छपवाए गए प्रोस्पैक्टस की तुलना में प्रोस्पैक्टस की बिक्री कम हो रही है तथा हर वर्ष लगभग 12000 से 14000 लगभग प्रोस्पैक्टस बिना बिक्री के रह रहे है जिस का कारण मांग का सही आंकलन न करना प्रतीत होता है। अतः सुझाव दिया जाता है कि संस्था स्त्तर पर अपेक्षित जांच करने के उपरान्त Prospectus की छपवाई गत वर्षो की मांग के अनुपात को ध्यान में रखते हुए करवाई जाए जिससे छपवाई पर किए जा रहे व्यय को कम किया जा सकता है।

(ख) प्रोस्पैक्टस के वितरण व वापसी पर अपेक्षित सत्यापन न करवाया जानाः—

बोर्ड द्वारा विभिन्न तकनीकी विद्यालयों को प्रोस्पैक्टस बिक्री के लिए भेजे जाते है। जांच में पाया गया कि बिक्री के लिए भेजते समय प्रोस्पैक्टस न तो क्रमःनुसार भेजे जाते है और न ही किसी अधिकारी द्वारा इस का सत्यापन किया जाता है। इसके अतिरिक्त बिक्री न हो पाने के कारण जो प्रोस्पैक्टस वापस आते है उनका भी किसी अधिकारी द्वारा सत्यापन नहीं किया जाता है जिनके अभाव में यह सुनिश्चित नहीं की जा सका कि किस—2 क्रम वाले प्रोस्पैक्टस वापस आये। अतः बिक्री के लिए भजते समय व वापसी पर अधिकारी सदस्य

समिति द्वारा सत्यापन अति आवश्यक है। इस सन्दर्भ में बोर्ड ने अपने पत्र संख्या 6737 दिनांक 8.11.12 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया था कि उप सचिव द्वारा प्रोस्पैक्टस का सत्यापन किया जाता है परन्तु यह सही प्रतीत नहीं होता है क्योंकि बोर्ड द्वारा इससे सम्बन्धित कोई अभिलेख जॉच हेतु अंकेक्षण को उपलब्ध नहीं करवाया गया।

(ग) प्रोस्पैक्टस की बिक्री की `170000/–की वसूली बारेः–

अभिलेख की जांच मे ंपाया गया कि मई 2011 में बोर्ड द्वारा मुख्याध्यापक जीपी सुन्दरनगर की समान्य वर्ग के 200 व रिर्जव वर्ग के 100 प्रोस्पैक्टस बिक्री के लिए भेजे गये जिन की कुल कीमत `170000/–बनती है। उक्त बिक्री एवं वसूली से सम्बन्धित कोई भी दस्तावेज अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे यह प्रतीत होता है कि उक्त राशि की वसूली नहीं की गई। एक वर्ष से भी अधिक समय तक उक्त राशि का वसूल न करना अनियमित है। अतः अति शीध्र उक्त राशि की वसूली करनी सुनिश्चित की जाये व की गई कार्रवाई से आगामी अंकेक्षण को अवग्रत करवाया जाए।

15 वाहनः–

तकनीकी शिक्षा बोर्ड के वाहन पर किए गए खर्चे से सम्बन्धित अभिलेख की जॉच में निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गईः–

(क) वाहन संख्या एच0पी0–37–4315 की औसत कम दर्शाने बारेः–

जांच में पाया गया कि वाहन संख्या एचपी–37–4315 की औसत कम दर्शाई जा रही है। इस सम्बन्ध में अंकेक्षण अधियाचना संख्या 104 दिनांक 25.10.11 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा उक्त वाहन की औसत 7.6 कि0मी0 प्रति लीटर बताई गई है जोकि एस0डी0ओ0पी0डब्लयू0डी0 धर्मशाला द्वारा निर्धारित की गई है। Vehicle Maintenece Act के अनुसार वाहन चालक को इसी औसत पर गाड़ी चलानी होती है तथा व्यक्तिगत रूप से वह इस के लिए जिम्मेवार होता है परन्तु उक्त वाहन की लागबुक की जांच में पाया कि ड्राईवर द्वारा इस वाहन की औसत निर्धारित की गई औसत से कम दर्शाई जा रही है तदानुसार तेल की खपत की गई। अंकेक्षण अवधि 4/11 से लेकर 3/12 के दौरान उक्त वाहन की दर्शाई गई औसत का विवरण निम्नानुसार हैः–

दिनांक	माह में की गई कुल यात्रा	वाहन चालक द्वारा माह में दर्शाई गई औसत प्रति लीटर	माह में औसत अनुसार की की गई तेल खपत	नियमानुसार वाहन की निर्धारित औसत 7.6 लीटर प्रति किमी0 पर वांन्छित तेल खपत	माह में की गई अधिक तेल खपत
01.4.11 30.4.11	27.22	7.015	388	358	30
01.5.11 31.5.11	4666	6.960	670	666	10
01.6.11 5.05.11	3586	7.000	512	471	41
01.7.11 31.7.11	4852	7.011	692	638	54
01.8.11 30.8.11	3791	6.910	551	499	52
01.9.11 29.9.11	2603	7.000	372	343	29
01.10.11 29.10.11	3513	7.026	500	462	38
01.11.11 30.11.11	543	7.050	77	72	5
01.12.11 20.12.11	960	7.000	137	127	10
01.1.12 31.1.12	2617	6.880	390	345	45
01.2.12 31.2.11	3043	6.760	434	401	33
01.3.12 31.2.12	1805	7.020	257	237	20
				कुल खपत	**367** लीटर

अतः वाहन की औसत कम दर्शाने के कारण अधिक इस्तेमाल किए गये तेल की कीमत की उचित स्त्रोत से वसूली करके बोर्ड के खाते में जमा करवाई जाये व की गई कार्रवाई से इस कार्यालय को अवगत करवाया जाये।

(ख) वाहन संख्या एचपी–39बी–3323 की औसत तेल की खपत बारे में:–

उपरोक्त वाहन की लॉग बुक की जांच करने पर पाया गया कि इस वाहन की औसत हर माह अलग–अलग दर्शाई जा रही है। इस सन्दर्भ में गत अंकेक्षण के पैरा संख्या 23 में भी इस सम्बन्ध में सुझाव दिया गया था कि इस वाहन की औसत का निर्धारण किसी मान्यता प्राप्त सरकारी संस्था से करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए परन्तु अभी तक भी अंकेक्षण के इस सुझाव पर कोई अमल नहीं किया गया है।

इस वाहन की लागबुक में दर्शाई गई औसत का विवरण इस प्रकार से है:–

अवधि माह	औसत
4/11	7.95
5/11	8.10
6/11	8.05
7/11	8.00
8/11	7.55
9/11	8.20
10/11	8.26
11/11	7.96
12/11	7.95
01/12	8.15
02/12	8.02
03/12	8.10

अतः गत अंकेक्षण सुझाव दिये जाने के बावजूद भी इस वाहन की औसत का निर्धारण न करवाए जाने का कारण स्पष्ट किए जाऐं व अतिशीध्र किसी मान्य प्राप्त सरकारी संस्था से इस वाहन की औसत का निर्धारण करवाया जाए तथा इस सन्दर्भ में अमल में लाई गई कार्रवाई से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

16 मै0 न्यू हिल पब्लिक गृडस कैरियर एसोसिएशन ट्रक यूनियन धर्मशाला को विभिन्न परीक्षा केन्द्रों में प्रश्न पत्र पहुचाने के लिए किए गए `25373/–के भुगतान के बारे में:–

वाउचर संख्या 585 दिनांक 5.1.2012 के अन्तर्गत ₹25373/–का भुगतान मै0 न्यू पब्लिक गुडस कैरियर ऐसोसिएशन ट्रक यूनियन चैतडू धर्मशाला को माह दिसम्बर 2011 में संचालित करवाई गई बहुतकनीकी परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों का स्थापित परीक्षा केन्द्रों में पहंचाने हेतु किया गया जिसका विवरण निमनलिखित हैः–

क्र0सं0	वाहन नं0	कुल यात्रा	दर	राशि
1	एच0पी068–196	476 कि0मी0	9.80 प्रति कि0मी0	4665
2	एच0पी0–68–3246	470 मि0मी0	9.80 प्रति कि0मी0	4606
3	एच0पी0–68–810	812 कि0मी0	9.80 प्रति कि0मी0	7958
4	एच0पी0–68–1076	831 कि0मी0	9.80 प्रति कि0मी0	8144
				`25373

उपरोक्त वर्णित भुगतान की जांच करने पर पाया गया कि तकनीकी शिक्षा बोर्ड के अभिलेख में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि यह उक्त प्रशन पत्र कब–2 और किस–2 परीक्षा केन्द्रों पर पहंचाए गए। अतः अपेक्षित विवरण देकर अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

17 श्री जुगल किशोर कोरडियेटर का मानदेय की `400/–का अधिक भुगतानः–

वाऊचर संख्या 550 माह 10.1.2012 के अन्तर्गत अप्रैल 2011 व अक्तूबर 2011 में (एस0सी0वी0टी0) परीक्षाओं के प्रयोगात्मक परीक्षा के मानदेय के रूप में ₹5573/–का भुगतान किया गया। उक्त बिल में क्रम संख्या 27 पर श्री जुगल किशोर अनुदेशक

आई0टी0आई0 चम्बा की अप्रैल मई 2011 में सम्पन्न हंई परीक्षाओं में पेपर कोड AYUP 201–205 की प्रैक्टीकल परीक्षा में कोरडिनेटर की डयूटी देने पर `400/–मानदेय के रूप मे भुगतान किए गए जबकि यह मानदेय केवल प्रैक्टिकल परीक्षक को ही देय था जो क्रम संख्या 26 पर डा0 केशव वर्मा को पहले ही दे दिया गया था। अतः श्री जुगल किशोर को किए गये भुगतान ₹400/–प्रति पूर्ति करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए।

18 **लधु आपात्ति विवरणिकाः–** यह अलग से जारी नहीं की गई है।

19 **निष्कर्षः–** लेखों क रख रखाव में सुघार की आवयकता हैं

हस्ता/–
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश शिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्याःफिन(एल0ए0)एच0(2)सी(15)(14)111/87–खण्ड–8–1974–1977, दिनांक 23.03.2013, शिमला–171009.

प्रतिलिपि निम्न को प्रेषित की जाती है :–

पंजीकृत :–1 सचिव हि0प्र0 तकनीकी शिक्षा बोर्ड धर्मशाला जिला कांगड़ा हि0प्र0 को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को प्रतिवेदन जारी होने से एक माह के भीतर प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

2 प्रधान सचिव तकनीकी शिक्षा हि0प्र0 सरकार शिमला–2

3 निदेशक तकनीकी शिक्षा व्यवसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण हि0प्र0 सुन्दरनगर जिला मण्डी हि0प्र0

4 श्री अशोक सूद अ0अ0 द्वारा.......................

हस्ता/–
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश शिमला–171009.

परिशिष्ट "A"

पैरा संख्या 1 (ग) में सन्दर्भित

गत अंकेक्षण प्रतिवेदन

गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर की गई कार्रवाई का अवलोंकन करने उपरान्त नवीनतम स्थिति निम्नविवरणानुसार दर्शाई गई है। अंकेक्षण के दौरान यह देखने में आया है कि गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के शेष पैरों पर बोर्ड द्वारा कोंई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है। अतः परामर्श दिया जाता है कि पुराने लम्बित पैरों के निपटारे हेतु विशेष कार्रवाई करनी सुनिश्चित की जाए ताकि अधिक से अधिक पैरों का निस्तारण सम्भव हो सके।

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1988 से 1989 तक

क्र0 सं0	पैरा सं0	पैरे का संक्षिप्त विवरण	पैरे की स्थिति	टिप्पणी
1	5 (ए)	₹350 / —की कम वसूली	अनिर्णीत	--------

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1990 से 1992 तक

क्र0 सं0	पैरा सं0	पैरे का संक्षिप्त विवरण	पैरे की स्थिति	टिप्पणी
1	7	मानदेय राशि के भुगतान के सन्दर्भ में	अनिर्णीत	--------
2	15 (क)	प्रतिनियुक्ति भत्ते के रूप में ₹3578 / —की वसूली बारे	अनिर्णीत	....
3	15 (ख)	प्रतिनियुक्ति भत्ते के रूप में ₹1614 / —की वसूली बारे	अनिर्णीत	....
4	16	प्रतिनियुक्ति पर गलत वेतन निर्धारण के कारण ₹36881 / —की वसूली बारे	अनिर्णीत	....

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1992 से 1995 तक

क्र0सं0	पैरा सं0	पैरे का संक्षिप्त विवरण	पैरे की स्थिति	टिप्पणी
1	8	मानदेय राशि के रूप में किए गए ₹10000/—के भुगतान बारे	अनिर्णीत	---------
2	13	प्रतिनियुक्ति के रूप में किए गए अनियमित भुगतान के सन्दर्भ में	अनिर्णीत	....

..

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1995 से 1997 तक

क्र0सं0	पैरा सं0	पैरे का संक्षिप्त विवरण	पैरे की स्थिति	टिप्पणी
1	6 (2)	परीक्षा शुल्क की ₹810/— की कम वसूली बारे	अनिर्णीत	---------
2	6 (4)	परीक्षा शुल्क की ₹25/— की कम वसूली बारे	अनिर्णीत	....
3	10	पी0ए0टी0 से सम्बन्धित मानदेय का अनयमित भुगतान	अनिर्णीत	....
4	10 (क)	—यथोपरि—	अनिर्णीत	....
5	14 (क)	परीक्षा संचालन सम्बन्धी मापदण्डों के विपरीत अधिक भुगतान की गई ₹1565/—की वसूली बारे	अनिर्णीत	....

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1997 से 1998 तक

क्र0सं0	पैरा सं0	पैरे का संक्षिप्त विवरण	पैरे की स्थिति	टिप्पणी
1	9	₹3808/–की घटिया सामग्री की आपूर्ति के सन्दर्भ में	अनिर्णीत	------------
2	22 (ङ)	अधिवक्ता के दिए गए अधिक भुगतान के सन्दर्भ में	अनिर्णीत	....

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 2000 से 2001 तक

क्र0सं0	पैरा सं0	पैरे का संक्षिप्त विवरण	पैरे की स्थिति	टिप्पणी
1	7	आवास भत्ते के रूप में ₹6351/–की वसूली बारे	अनिर्णीत	-------------

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 2003 से 2003 पैरे का संक्षिप्त विवरण

क्र0सं0	पैरा सं0	पैरे का संक्षिप्त विवरण	पैरे की स्थिति	टिप्पणी
1	9 (1)	कालातीत यात्रा भत्ते बिलों के भुगतान के सन्दर्भ में	अनिर्णीत	---------

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 2004 से 2006 तक

क्र0सं0	पैरा सं0	पैरे का संक्षिप्त विवरण	पैरे की स्थिति	टिप्पणी
1	4 (4)	मृत्यु एवं सेवा निवृत उपदान राशि हेतु प्रावधान के सन्दर्भ में	अनिर्णीत	---------
2	6	पंजीकरण शुल्क की राशि ₹66280/–की कम वसूली बारे	अनिर्णीत	....

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 2007 से 2008 तक

क्र0सं0	पैरा सं0	पैरे का संक्षिप्त विवरण	पैरे की स्थिति	टिप्पणी
1	5 (3)	बैंक द्वारा ₹20450/—का क्रेडिट न देने बारे व ₹24688/—का अकारण ही बैंक द्वारा डेबिट करना	अनिर्णीत	------------
2	5 (14)	पी0ए0टी0 खाते में बैंक द्वारा ₹3179/—का क्रेडिट न देने बारे	अनिर्णीत	....
3	8	बोर्ड की समस्त भूमि का राजस्व सम्बन्धी रिकार्ड प्रस्तुत करने बारे	अनिर्णीत	....
4	11	हिमाचल प्रदेश सिविल सर्विसिज अंशदान पैन्शन नियम 2006 को लागू न करने बारे	अनिर्णीत	....
5	12	खरीदे गए स्टॉक/स्टोर का प्रत्यक्ष सत्यापन न करवाने बारे	अनिर्णीत	....

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 2008 से 2009 तक

क्र0 सं0	पैरा सं0	पैरे का संक्षिप्त विवरण	पैरे की स्थिति	टिप्पणी
1	5	पैरा नं0 वर्णित नहीं है।	अनिर्णीत	-----------
2	6	पंजीकरण शुल्क के रूप में ₹67750/—निदेशक तकनीकी शिक्षा से वसूल न करने बारे	अनिर्णीत	....
3	7	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से विलम्ब शुल्क न वसूला जाना	अनिर्णीत	....
4	10	बोर्ड प्रशासन द्वारा निवेश की गई राशि पर ₹25 लाख ब्याज दर बारे	अनिर्णीत	....
5	13	प्रयोगात्मक परीक्षा हेतु अधिक किए गए भुगतान की वसूली बारे	अनिर्णीत	....
6	16	₹12449/—के भुगतान बारे	अनिर्णीत	....
7	17	स्टॉक रजिस्टरों का सही ढंग से रख रखाव न	निर्णीत	(पैरे की वर्तमान प्रतिवेदन में

		करने बारे		पुनः प्रारूपित किया गया)
8	21(ख)	लॉग बुक की जांच करने पर की गई यात्राएं बोर्ड के किसी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा की गई यात्रा का उद्देश्य/सत्यापन न किये जाने बारे	अनिर्णीत	....
9	21(घ)	गाड़ी की मुरम्मत हेतु दी गई अग्रिम राशि के समायोजन बारे	अनिर्णीत	....
10	21(ङ)	गाड़ी का प्रयोग बोर्ड हित मे ंनहीं	अनिर्णीत	....

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 2009 से 2010 तक

क्र0 सं0	**पैरा सं0**	**पैरे का संक्षिप्त विवरण**	**पैरे की स्थिति**	**टिप्पणी**
1	5	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बहुतकनीकी संस्थाओं से ₹953100/–विलम्ब शुल्क की वसूली न करना	निर्णीत	(त0 शिक्षा बोर्ड की वित समिति द्वारा दिनांक 25.2.12 को सम्पन्न हुई बैठक मे मद संख्या 2 के अन्तर्गत लिए गए निग्रय अनुसार)
2	6	सम्बदता एक निरीक्षण शुल्क की ₹50000/–की वसूली बारे	अंशतः निर्णीत	(सम्बदता शुत्क की राशि दण्ड सहित (40000+10000) रसीद संख्या 46171 दिनांक 17.2.11 कोप्राप्त की गई)
3	7	समाचार पत्र में छपवाये गये विज्ञापन पर ₹1125 का अधिक भुगतान	निर्णीत	(दिए गए उत्तर अनुसार)
4	10	वाहन संख्या एच0पी0 39 4315 के प्रयोग के सम्बन्ध में	अनिर्णीत	....
5	11	अराजपत्रित अवकाश वाले दिन गाड़ी के प्रयोग बारे	अनिर्णीत	....
6	12	सम्बद्धता शुल्क नियम बनाने बारे	अनिर्णीत	....

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 2010 से 2011 तक

क्र0 सं0	पैरा सं0	पैरे का संक्षिप्त विवरण	पैरे की स्थिति	टिप्पणी
1	6	सावधि जमा राशियों पर ब्याज के रूप में अर्जित आय ₹1568622/–की प्रविष्टि रोकड़ वही में न करना	निर्णीत	(Taken in cash book on31.3.12)
2	7	अग्रिम	निर्णीत	(वर्तमान प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित किया गया)
3	8	विक्रय केन्द्रो से ₹220020 की वसूली न करना	अनिर्णीत	
4	9	विलम्ब शुल्क के रूप में ₹932300/–की वसूली न करना	निर्णीत	(तकनीकी शिक्षा बोर्ड की वित समिति द्वारा दिनांक 25.2.12 को सम्पन्न हुई बैठक में मद संख्या 2 के अन्तर्गत लिए गए निर्णय अनुसार)
5	10	पंजीकरण शुल्क के रूप में ₹21250/–निदेशक तकनीकी शिक्षा से वसूल न करने बारे	अनिर्णीत	
6	11	गलत वेतन निर्धारण के कारण ₹28831/–के अधिक भुगतान के बारे में	अनिर्णीत	
7	12	वेतन की बकाया राशि की गणना में ₹2250 अधिक करने बारे	निर्णीत	(अधिक भुगतान की गई राशि का समायोजन वाउचर संख्या 40 दिनांक 26.4.2012 संशोधित वेतनमान की अन्तिम किश्त में किया गया)
8	13	उत्तरपुस्तिकाओं के मूल्यांकन हेतु प्रतिदिन की दर से किए गए भुगतान बारे	निर्णीत	(दिये गये उतर के अनुसार निर्णीत)
9	14	एक समान अवधि के लिए दो बार AMC करवाने से ₹5036	निर्णीत	(दिये गये उतर के अनुसार निर्णीत)
10	15	निदेशक तकनीकी शिक्षा को ₹2550/–अधिक वापिस करने बारे	निर्णीत	(दिये गये उतर के अनुसार निर्णीत)
11	16	समाचार पत्रों में अधिक साईज के विज्ञापन छपवाने हेतु	निर्णीत	(दिये गये उतर के

		₹17002 का अधिक भुगतान करने बारे		अनुसार निर्णीत)
12	17	यात्रा भत्ता दावा बिल के रूप में ₹70/–का अधिक भुगतान	निर्णीत	(रसीद संख्या 56101 दिनांक 26.10.12 द्वारा वसूली की गई)
13	18	₹1500/–के पैट्रोल के खर्च बारे	निर्णीत	(दिये गये उतार के अनुसार निर्णीत)
14	19	यात्रा भत्ता दावा के रूप में ₹260/–का अतिरिक्त भुगतान करने बारे	निर्णीत	(दिये गये उतर के अनुसार निर्णीत)
15	20	अग्रिम के समायेाजन उपरान्त शेष बची ₹391/–को बोर्ड निधि मे ंजमा न करवाना	निर्णीत	(रसीद संख्या 52477 दिनांक 26.3.2012)
16	21	स्थाई वस्तुओं का अन्त शेष शून्य दर्शाने बारे	अनिर्णीत	
17	22	प्रत्यक्ष सत्यापन न करवाने बारे	अनिर्णीत	
18	23	वाहन संख्या एच0पी0 39 3323 की खरीद एवं औसत तेल की खपत के बारे में	अनिर्णीत	
19	24	लॉग बुक में यात्रा हेतु वास्तविक दूरी से अधिक दूरी दर्शाने बारे	अनिर्णीत	